

पूर्वधारणा (Presupposition) का अर्थ है वही मान्यता या शर्त जिसके बिना कोई विचार या सिद्धांत संभव नहीं है। नैतिकता (Morality) के लिए भी कुछ बुनियादी शर्तें आवश्यक हैं, जिन्हें उसके मूल आधार या पूर्वधारणाएँ कहा जाता है। इनके बिना नैतिक आचरण और नैतिक उत्तरदायित्व (Moral Responsibility) की बात नहीं की जा सकती।

1). स्वैच्छा या इच्छा की स्वतंत्रता (Freedom of Will)
'स्वैच्छा की स्वतंत्रता' का अर्थ है मनुष्य के भीतर यह क्षमता या शक्ति होना कि वह सही और गलत में भेद कर सके। अर्थात् मनुष्य केवल बाहरी कारणों का परिणाम नहीं है, बल्कि वह स्वतंत्र इच्छाशक्ति वाला नैतिक प्राणी है।

नैतिकता से संबंध:

- नैतिक आचरण तभी संभव है जब व्यक्ति स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम हो।
- यदि व्यक्ति का व्यवहार पूरी तरह बाहरी परिस्थितियों से नियंत्रित हो, तो उसे नैतिक रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।
उदाहरण: यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध को मजबूरी या दबाव में करता है, तो हम उसे पूरी तरह दोषी नहीं मानते। परंतु यदि वही कार्य वह स्वैच्छा से करता है, तो वह नैतिक रूप से उत्तरदायी होती है।

दार्शनिक के विचार:

- कान्त (Kant) → नैतिकता की जड़ मनुष्य की स्वायत्त इच्छा में है। यदि इच्छा स्वतंत्र नहीं, तो नैतिकता असंभव है।
- आस्तु (Aristotle) → नैतिक गुण तभी संभव है जब व्यक्ति अपने निर्णय से कार्य करे।
- स्पिनोज़ा (Spinoza) → पूर्ण स्वतंत्रता असंभव है, मनुष्य प्रकृति के नियमों से नियंत्रित है।
- जॉन लॉक/रॉस/बचलर → नैतिकता का आधार है - मनुष्य का स्वतंत्र विवेक और आत्म-नियंत्रण।

स्वेच्छा और निश्चयवाद (Determinism vs Free Will):

पक्ष	मत	निष्कर्ष
1. निश्चयवाद (Determinism)	हर क्रिया कारणों से निर्धारित होती है, व्यक्ति स्वतंत्र नहीं।	नैतिक जिम्मेदारी का कोई अर्थ नहीं।
2. स्वेच्छावाद (Libertarianism)	मनुष्य स्वतंत्र है; वह अपने निर्णय से कार्य करता है।	नैतिकता और उत्तरदायित्व संभव है।
3. समन्वयवाद (Compatibilism)	व्यक्ति सीमित परिस्थितियों में भी स्वेच्छा का उपयोग कर सकता है।	नैतिकता परिस्थितियों के भीतर संभव है।

नैतिक दृष्टि से महत्व:

नैतिक निर्णय स्वतंत्र इच्छा पर आधारित होते हैं।

मनुष्य तभी नैतिक उत्तरदायित्व वहन कर सकता है।

बिना स्वेच्छा के न तो पुण्य संभव है, न ही पाप।

स्वतंत्र इच्छा ही कर्तव्य-भाव, पश्चात्ताप और आत्म-सुधार का आधार है।

नैतिकता की आत्मा स्वेच्छा की स्वतंत्रता है। जब तक मनुष्य अपने विवेक और इच्छा से निर्णय नहीं ले सकता, तब तक उसका आचरण नैतिक नहीं कहा जा सकता।